प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 7145/2010

याचिकाकर्ता श्रीमती वंदना ए. चौहान

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 7339/2010

याचिकाकर्ता सीमा साहू

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्र. 1168/2010

याचिकाकर्ता आनंद वसंत राव बक्शी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

सही/

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

मैं सहमत हूँ **सही/-**

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

आदेश के लिए सूचीबद्ध करें दिनांक:16/04/2012

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय. बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, एवं

माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण

रिट याचिका (सिविल) क्र. 7145/2010

याचिकाकर्ता श्रीमती वंदना ए. चौहान

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्र. 7339/2010

याचिकाकर्ता सीमा साहू

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्र. 1168/2010

याचिकाकर्ता आनंद वसंत राओ बक्शी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिकाएं)

उपस्थित:

श्री के. आर. नायर एवं श्री अरविंद कुमार दुबे, संबंधित याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री ए. एस. कच्छवाहा, राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता।

श्री वैभव शुक्ला, उत्तरवादी क्रमांक 3 - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 - श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि तामील हो चुकी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(आज दिनांक 16/04/2012 को पारित)

न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

(1) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010, 7339/2010 एवं 1168/2011 में समान तथ्य तथा समान विधिक प्रश्न निहित हैं, अतः इन्हें इस समान आदेश द्वारा विचारित एवं निराकृत किया जा रहा है।

(2) इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4, अर्थात् छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") तथा श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भिलाई (संक्षेप में "महाविद्यालय") को निर्देशित किए जाने की प्रार्थना की है कि वे बैकलॉग विषय में याचिकाकर्ताओं के परिणाम घोषित करें, जिसमें याचिकाकर्ता नियमित परीक्षा तथा प्रथम अवसर में संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात द्वितीय अवसर पर सम्मिलित हुए थे। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि

उत्तरवादीयों को निर्देशित किया जाए कि बैकलॉग विषय के द्वितीय प्रयास में घोषित होने वाले परिणाम के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

(3) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। तत्पश्चात उन्हें उसी विषय की पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें वे पुनः अनुत्तीर्ण रहे। इस बीच याचिकाकर्ताओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी गई। बाद में विश्वविद्यालय द्वारा यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (एम.ई./एम.टेक.) उपाधि से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 12 (संक्षेप में "अध्यादेश") (अनुलग्नक - पी/8, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010) के अंतर्गत अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को द्वितीय ए.टी.के.टी. परीक्षा में बैकलॉग उत्तीर्ण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम ए.टी.के.टी. परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे असफल माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) <u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010</u>: याचिकाकर्ता को महाविद्यालय में एम.ई. (ई एंड टी) (कम्युनिकेशन) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध है। याचिकाकर्ता ने प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया। द्वितीय सेमेस्टर में याचिकाकर्ता "कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी" विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। तथापि, याचिकाकर्ता को तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई और उसके पश्चात उसे ए.टी.के.टी. के अंतर्गत उक्त विषय में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया, क्योंकि विश्वविद्यालय के

अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात प्रथम ए.टी.के.टी. में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे उसी बैकलॉग विषय में द्वितीय बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।

(5) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7339/2010: याचिकाकर्ता को महाविद्यालय में एम.ई. (ई एंड टी) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। प्रथम सेमेस्टर में वह "माइक्रोवेव एवं रडार कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग" विषय में अनुत्तीर्ण हो गई। तत्पश्चात द्वितीय सेमेस्टर में उसे बैकलॉग परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई, जिसमें वह पुनः अनुत्तीर्ण रही। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त न कर पाने के बावजूद, याचिकाकर्ता को उक्त बैकलॉग विषय में द्वितीय बार परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। किन्तु, पूर्वोक्त कारणों से उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया, तथापि उसे तृतीय सेमेस्टर तथा उसके पश्चात चतुर्थ सेमेस्टर में भी अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1168/2011: याचिकाकर्ता को जुलाई 2008 में महाविद्यालय में एम.ई. (इलेक्ट्रिकल) (पावर सिस्टम इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया। द्वितीय सेमेस्टर के एक विषय में वह न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर सका। उसे अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई तथा आगे चलकर उक्त विषय की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति दी गई, जिसमें वह पुनः अनुत्तीर्ण रहा।

(7) श्री नायर तथा श्री दुबे, जो संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अध्यादेश क्रमांक 12 के खंड 8 के अंतर्गत किसी विषय को किसी भी समय उत्तीर्ण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा उस विषय को केवल प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही उत्तीर्ण करने की कोई बाध्यता निर्धारित नहीं है। याचिकाकर्ताओं को बैकलॉग विषयों में द्वितीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी। उन्हें आगामी सेमेस्टरों में अध्ययन जारी रखने की भी अनुमति दी गई थी। अतः उत्तरवादी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे बैकलॉग विषय की परीक्षा में याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित करें तथा आगामी सेमेस्टरों में उनकी निरंतरता को नियमित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसी विश्वविद्यालय के एम.बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 19 (अनुलग्नक - पी/9, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010) में, खंड 5(घ) के अनुसार अभ्यर्थियों को किसी विशेष विषय में दो ए.टी.के.टी. वर्ष वहन करने की अनुमति है। इसी तर्क का अनुप्रयोग एम.ई. पाठ्यक्रम पर भी किया जाना चाहिए। अंत में यह भी आग्रह किया गया कि अध्यादेश क्रमांक 12 (अनुलग्नक - आर/2, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010) में तत्पश्चात संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत खंड 8 में ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए बैकलॉग विषय में दो अवसर प्रदान किए गए हैं। याचिकाकर्ता उक्त संशोधित प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(9) दूसरी ओर, उत्तरवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री शुक्ला ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि संशोधित अध्यादेश क्रमांक 12 (अनुलग्नक -

आर/2, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7145/2010) इस प्रकरण में लागू नहीं होता, क्योंकि उस पर कुलाधिपति की स्वीकृति दिनांक 20.04.2011 को प्रदान की गई थी। अतः बैकलॉग विषय को दो प्रयासों में उत्तीर्ण करने की अनुमति संबंधी प्रावधान कुलाधिपति की स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावी हुआ। वर्तमान मामले में संबंधित परीक्षाएँ 20.04.2011 से पूर्व संपन्न हो चुकी थीं। श्री शुक्ला ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित अध्यादेश कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रभावी होता है। अध्यादेश क्रमांक 19, जो एम.बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम पर लागू है, एम.ई. पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होता, क्योंकि एम.ई. पाठ्यक्रम के लिए पृथक अध्यादेश क्रमांक 12 है, जिसमें खंड 8(क) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी को बैकलॉग विषय प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उसे संबंधित सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) श्री शुक्ला ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बिना ही पाठ्यक्रम जारी रखते हुए द्वितीय प्रयास में परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई थी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में महाविद्यालय को सूचित भी किया, जैसा कि दिनांक 30.08.2010 के पत्र (अनुलग्नक - पी/1, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7339/2010) से स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी बैकलॉग विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, अतः उन्हें असफल घोषित किया जाए। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को छात्रों के हित में भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की चेतावनी भी दी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, चूँकि याचिकाकर्ता प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, अतः उन्हें बैकलॉग विषय की परीक्षा द्वितीय बार देने की

अनुमति नहीं दी जा सकती और अध्यादेश क्रमांक 12 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें संबंधित सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण माना जाना चाहिए।

(11) हमने वाद के पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलिखित अभिवचनो और उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

(12) अध्यादेश क्रमांक 12 का खंड 8 इस प्रकार है :

"8 a) जो परीक्षार्थी किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में एक से अधिक नहीं, अर्थात केवल एक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र अथवा एक प्रायोगिक/वाइवा-वोसे में न्यूनतम अंक/ग्रेड प्राप्त करने में असफल रहता है, उसे ए.टी.के.टी. (अगले सेमेस्टर में सशर्त प्रवेश की अनुमति) घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से अगले उच्चतर सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि वह ए.टी.के.टी. परीक्षा में बैकलॉग उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

b) जो अभ्यर्थी किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में एक से अधिक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र अथवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रायोगिक/वाइवा-वोसे में अनुत्तीर्ण होता है, उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

c) उपर्युक्त अनुच्छेद 8(क) एवं (ख) के अनुसार अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

d) जो अभ्यर्थी अंतिम (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए चौथे तथा अंशकालिक पाठ्यक्रम के लिए छठे) सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, वह उस सेमेस्टर में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उसे विभागाध्यक्ष द्वारा सुझाए गए आवश्यक सुधार एवं/या संशोधन के साथ अपना शोधप्रबंध पुनः प्रस्तुत करना होगा अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा सुझाए गए किसी अन्य विषय पर शोधप्रबंध पुनर्लिखित कर प्रस्तुत करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) हमने विवाद पर गहन विचार किया है और हमारा मत है कि एम.ई. पाठ्यक्रम पर अध्यादेश क्रमांक 12 ही लागू होगा। याचिकाकर्ता एम.ई. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, अतः एम.बी.ए. डिग्री पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 19 उनके मामले में लागू नहीं होता।

(14) पश्चातवर्ती अध्यादेश, जिस पर कुलाधिपति द्वारा दिनांक 20.04.2011 को स्वीकृति प्रदान की गई, को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। यदि महाविद्यालय की त्रुटि से अभ्यर्थियों को बैकलॉग विषय की द्वितीय प्रयास की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे भी दी गई हो, तो भी प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा।

(15) अधिनियम, 2004 की धारा 39 इस प्रकार है :

> "**39. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे.--** (1) प्रथम अध्यादेश को छोड़कर अन्य सभी अध्यादेश कार्यपरिषद द्वारा बनाए जाएंगे।
>
> (2) कार्यपरिषद द्वारा बनाया गया कोई भी अध्यादेश कुलाधिपति की स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (संक्षेप में "अधिनियम, 2004") की धारा 39 में यह प्रावधान है कि प्रथम अध्यादेश को छोड़कर अन्य सभी अध्यादेश कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव देने का कोई संकेत उपलब्ध नहीं है। अतः याचिकाकर्ता उपर्युक्त संशोधित अध्यादेश क्रमांक 12 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

(17) निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं को आगामी सेमेस्टरों में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी गई थी, किन्तु यह इस बात का आधार नहीं बन सकता कि संबंधित प्राधिकारी को बैकलॉग विषय की द्वितीय प्रयास की परीक्षा के परिणाम की स्वीकृति प्रदान करने तथा उसे घोषित करने हेतु निर्देश दिया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था कि बैकलॉग विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण याचिकाकर्ताओं को सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, भले ही अभ्यर्थियों को आगामी सेमेस्टरों में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दे दी गई हो, हमारा सुविचारित मत है कि किसी अवैध कृत्य को न्यायिक आदेश द्वारा वैधता प्रदान नहीं की जा सकती।

(19) सर्वोच्च न्यायालय ने हरपाल कौर चहल (श्रीमती) बनाम निदेशक, पंजाब इंस्ट्रक्शन्स, पंजाब एवं अन्य[1] में, जहाँ यह प्रश्न था कि क्या अवैध रूप से की गई नियुक्तियों को इस आधार पर वैध ठहराया जा सकता है कि अन्य व्यक्तियों को उसका लाभ मिल चुका है, यह प्रतिपादित किया कि “अनुच्छेद 14 का विस्तार इस सीमा तक नहीं किया जा सकता कि अवैध आदेशों को केवल इस आधार पर वैध कर दिया जाए कि अन्य व्यक्तियों ने गलत रूप से उसका लाभ प्राप्त कर लिया है।” (यह भी देखें: अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य[2])।

---

[1] 1995 सप्प (4) एस.सी.सी. 706

[2] (2007) 4 एस.सी.सी. 54

(20) उपर्युक्त कारणों तथा विधि के सुव्यवस्थित सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों पर लागू करते हुए, रिट याचिकाएँ निरस्त किए जाने योग्य हैं और तदनुसार निरस्त की जाती हैं।

(21) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aditya Mishra